रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2006/आश्विन 18, 1928
No. 482] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2006/ASVINA 18, 1928

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 627(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में समूह 'क' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह 'क') पद भर्ती नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रधान संपादक	1*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14300-400-18300 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** 12000-16500 रुपए के वेतनमान में ऐसा संपादक जिसने उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो । **टिप्पण :**—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष इनमें से जो कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

11	12
	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अल्प सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 12000–16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वष सेवा की है; (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (1) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य; (ii)(क) जो राज्य न्यायिक सेवा का पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए सदस्य रहा हो; या (ख) जिसने राज्य सरकार के विधि विभाग में पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए कोई पद धारण किया हो; या (ग) जो पंद्रह वर्ष के लिए विधि का अध्यापक रहा हो; या (घ) जिसके पास विधि रिपोर्टों से संबंधित संपदाकीय विभाग में पंद्रह वर्ष का अनुभव हो; या (ङ) जिसके पास हिंदी में विधि रिपोर्टों के संपादन या न्यायालय निर्णयों का हिंदी में अनुवाद या क़ानूनी प्रारूपण या मूल या अधीनस्थ विधान का हिंदी में अनुवाद में पंद्रह वर्ष का अनुभव हो; या (च) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य हो और विधि में अध्यापन या अनुसंधान में तेरह वर्ष का अनुभव हो; और (2) जिसने डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हों। **टिप्पण 1.**–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.**–प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.**–प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13		14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिव, विधायी विभाग 3. अपर सचिव, विधायी विभाग	–अध्यक्ष –सदस्य –सदस्य	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

1	2	3	4	5	6	7
2. संपादक	03*(2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	12000-375-16500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** 10000-15200 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक संपादक जिसने उस श्रेणी में नियमित पांच वर्ष सेवा की हो। **टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हता अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अल्प सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 10000–15200 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं । (1) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य; (ii)(क) उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का विधि व्यवसाय; या (ख) न्यायिक सेवा में दस वर्ष का अनुभव; या (ग) राज्य सरकार के विधि विभाग में विधायन या विधि कार्य में दस वर्ष का अनुभव या केन्द्रीय सरकार के विधायी विभाग में दस वर्ष का अनुभव हो; या (घ) केन्द्रीय सरकार के विधायी विभाग में दस वर्ष का अनुभव; या (ङ) विधि रिपोर्टों से संबंधित विभाग में संपादन में दस वर्ष का अनुभव; या (च) विधायी प्रारुपण का दस वर्ष का अनुभव; या (छ) मूल और अधीनस्थ विधान का हिंदी में अनुवाद का दस वर्ष का अनुभव; या

12
(ज) विधि में अध्यापन या अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव ; या (झ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और विधि में अध्यापन या अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव; और (2) जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हों या समतुल्य और जिसके पास हिंदी में न्यायालय निर्णयों के अनुवाद और संपादन करने की योग्यता हो। **टिप्पण 1.**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2.**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.**—प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : *जिसमें निम्नलिखित होंगे :—*	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग। —अध्यक्ष	
2. सचिव, विधायी विभाग —सदस्य	
3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी —सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
3. सहायक संपादक	07* (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष

11	12
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) और	**प्रोन्नति :** 6500–10500 रुपए के वेतनमान में ऐसा उप संपादक जिसने उस श्रेणी में नियमित आठ वर्ष सेवा की हो।
(ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा ।	**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अल्प सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी– (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 8000–13500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । (1) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य; (ii)(क) उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष का विधि व्यवसाय; या (ख) न्यायिक सेवा में सात वर्ष का अनुभव; या (ग) राज्य सरकार के विधि विभाग में विधायन या विधि कार्य में सात वर्ष का अनुभव; या (घ) केन्द्रीय सरकार के विधायी विभाग में सात वर्ष का अनुभव; या (ङ) विधि रिपोर्टों से संबंधित विभाग में संपादन में सात वर्ष का अनुभव; या (च) विधायी प्रारूपण का सात वर्ष का अनुभव; या (छ) मूल और अधीनस्थ विधान का हिंदी में अनुवाद का सात वर्ष का अनुभव; या (ज) विधि में अध्यापन या अनुसंधान में सात वर्ष का अनुभव; या (झ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समतुल्य और विधि में अध्यापन या अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव; और (2) जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में पढ़े हों या समतुल्य और जिसके पास हिंदी में न्यायालय निर्णयों के अनुवाद और संपादन करने की योग्यता हो । **टिप्पण** 1.–पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

12
टिप्पण 2.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.**—प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (प्रशासन), विधायी विभाग —सदस्य 3. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (प्रशासन से भिन्न) विधायी विभाग —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4. प्रकाशन सह-विक्रय प्रबंधक	01*(2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11	12
मिश्रित पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति]	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और प्रोन्नति :** केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या संघ राज्यक्षेत्र या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अल्प सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पर धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 8000—13500 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं— (1) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य;

12
(ii) किसी प्रकाशन गृह या मुद्रणालय या मुद्रण विभाग में सात वर्ष का अनुभव; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी में अध्ययन किया हो (2) 6500-10500/- रुपए के वेतनमान में ऐसे विभागीय अधीक्षक (मुद्रण) और सहायक प्रबंधक पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है वाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **टिप्पण 1.**—प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी/पद में अधिकारियों द्वारा विहित अर्हक सेवा पूरा करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। **टिप्पण 2.**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3.**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4.**—प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
लागू नहीं होता।	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए. 12018/4/98-वि.एस.पी.(ए)]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

(Vidhi Sahitya Prakashan)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2006

G.S.R. 627(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1989 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Editor	01 *(2006) *Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 14300-400-18300	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Editor in the pay scale of Rs. 12000-16500/- with five years regular service in the grade. **Note.**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not

short of the the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract) :

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 12000—16500 or equivalent in the parent Cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

(1) (i) Bachelors' Degree in Law from a recognized University or equivalent;

(ii) (a) had been a Member of a State Judicial Service for a period of fifteen years; or

(b) held a post in the Law Department of a State Government for a period of fifteen years; or

(c) had been a teacher of Law for fifteen years; or

(d) had fifteen years experienc in the Editorial Department connected with Law Reports; or

(e) had fifteen years experience in Editing Law Reports in Hindi or translation in Hindi of Courts Judgments or statutory drafting or translation in Hindi of principal and subordinate legislation; or

(f) Masters' Degree in Law from a recognized University or equivalent with thirteen years experience in teaching or research in Law; and

(2) had studied Hindi and English both as elective or compulsory subjects at Degree level.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

	12
	Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department —Member 3. Additional Secretary, Legislative Department —Member	Consultation with the Union Publice Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Editor	03*(2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial)	Rs. 12000-375-16500	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Assistant Editor in the pay scale of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) - with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 10000-15200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience,—

(1) (i) Bachelors' Degree in Law from a recognized University or equivalent;

(ii) (a) ten years practice as an Advocate in a High Court; or

(b) ten years experience in State Judicial Service; or

(c) ten years experience in legislation and legal affairs in the Law Department of a State Government of the Central Government; or

(d) ten years experience in the Legislative Department of the Central Government; or

(e) ten years experience in editing in a Department concerned with Law Reports; or

(f) ten years experience of legislative drafting; or

(g) ten years experience of translation in Hindi of principal and subordinate legislation; or

(h) ten years experience in teaching or research in Law; or

(i) Master's Degree in Law from a recognized University or equivalent with eight years experience in teaching or research in Law; and

(2) had studied Hindi as a compulsory or elective subject at Bechelor's Degree level from a recognized University or equivalent and ability to translate and edit Court Judgments in Hindi.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Secretary, Legislative Department —Member 3. Joint Secretary and Legislative Counsel —Member	Consultation with the Union Publice Service Commission necessary while appointing on deputation (including short-term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Editor	07*(2006) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(11)	(12)
(i) 50% Promotion failing which by deputation (including short-term contract); and (ii) 50% Deputation (including short-term contract)/ absorption	**Promotion :** Sub-Editor in the pay scale of Rs. 6500-10500 with eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (1) (i) Bachelors' Degree in Law from a recognized University or equivalent; (ii) (a) seven years practice as an Advocate in a High Court; or

12

(b) seven years experience in State Judicial Service; or

(c) seven years experience in legislation and legal affairs in the Law Department of a State Government ; or

(d) seven years experience in the Legislative Department of the Central Government; or

(e) seven years experience in editing in a Department concerned with Law Reports; or

(f) seven years experience of legislative drafting; or

(g) seven years experience of translation in Hindi of principal and subordinate legislation; or

(h) seven years experience in teaching or research in Law; or

(i) Master's Degree in Law from a recognized University or equivalent with eight years experience in teaching or research in Law; and

(2) had studied Hindi as a compulsory or elective subject at Bachelor's Degree level from a recognized University or equivalent and ability to translate and edit Court Judgments in Hindi.

Note 1 : The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :		Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission	—Chairman	
2. Joint Secretary and Legislative Counsel (Administration), Legislative Department	—Member	
3. Joint Secretary and Legislative Counsel (other than Administration), Legislative Department	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Publication-cum-Sales Manager	01*(2006) *Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(11)	(12)
Composite method [Deputation (including short-term contract) and promotion]	Deputation (including short-term contract) and Promotion: 1. Officers under the Central or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.– (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000–13500 or equivalent in the parent cadre/ Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (1) (i) Bachelor Degree from a recognised University or equivalent. (ii) seven years experience in a Publishing House or Printing Press; or Printing Department. (iii) had studied Hindi as a compulsory or elective subject at Bachelor's Degree level from a recognized University or equivalent. 2. The Departmental Superintendent (Printing) and Assistant Manager in the pay scale of Rs. 6500–10500 with eight years regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. **Note 2 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

	(12)
	Note 3 : The period of deputation including contract including period uf deputation including contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 4 :** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.

(13)	(14)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[No. A. 12018/4/98-VSP (A)]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legistative Counsel

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.